डिगरी व मुक…

(ऑ 20 रु 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

व इजलास श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

वादीगण

1. नवलकिशोर पुत्र दलाराम
2. आरडी बेनीवाल पुत्र नवलकिशोर
3. खुशबू पुत्री नवलकिशोर
4. चतरूदेवी पत्नी नवलकिशोर
5. नरसिंगराम पुत्र श्रवणकुमार
6. जीयोदेवी पत्नी श्रवणकुमार

जाति जाट निवासी हूडों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (वादी संख्या 2 व 3 की कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 4)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दलाराम पुत्र केशराराम
2. जाति जाट निवासी हूडों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी शाखा नौखड़ा
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

निर्णय दिनांक : 14/1/22

प्रकरण संख्या :– 109/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ... अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पटवार नौखडा के राजस्व ग्राम हूडों का तला के खेत खसरा नम्बर 224/1 रकबा 11–04 बीघा, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 230 रकबा 94–12 बीघा, खसरा नम्बर 334 रकबा 97–03 बीघा की भूमि में वादीगण संख्या 1. नवलकिशोर, 2. आरडी बेनीवाल, 3. खुशबू तथा वादी संख्या 5 नरसिंगराम को प्रतिवादी संख्या 1 दलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/1/22 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी